CRMS- 2026/47

FORM No. III

APP-A
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत ......उपखण्ड अधिकारी...... मुकाम ......कोटा......

......राज्य......बनाम......अरविन्द भाई......

किस्म मुकदमा......L.R. Act - 136......नं. ......47......सन् ......2026......

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/1/26	राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। जांच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना–पत्र पर बहस कर प्रार्थना–पत्र स्वीकार जाने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना–पत्र सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक ......9/1/26...... को पेश हो।	
9/1/26	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी द्वारा ग्राम उम्मेदगंज के खाता संख्या 93 पर स्वतः स्वीकृत नामा0 संख्या 270 दिनांक 19.12.2025 बेचान द्वारा क्रेता का नाम अरविन्द भाई पटेल आ0 अम्बालाल पटेल नाम की डबल एन्ट्री हो रही है। जबकि अरविन्द भाई पटेल आ0 अम्बालाल पटेल की एक प्रविष्टी पूर्व में भी दर्ज थी। उक्त नामान्तरण द्वारा अरविन्द भाई पटेल आ0 अम्बालाल पटेल की 2 बार प्रविष्टी दर्ज हुई। जिसे दुरुस्त करवाने हेतु अप्रार्थी द्वारा आवेदन किया है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पंजीयन क्रमांक 202403123118772 दिनांक 19.12.2024 से क्रेता की 2 बार एन्ट्री हो गई है जिससे खाता अपवादित हो गया है। तथा अन्य कार्य सीमित हो गया है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार उक्त नाम एक ही व्यक्ति के है। जिसे दुरुस्त किया जाना है। उक्त प्रविष्टियों को दुरुस्त करने के आदेश करने की क्षेत्राधिकारिता श्रीमान न्यायालय को है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर उक्त शुद्धि की जावें। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में कथन किया है कि ग्राम उम्मेदगंज के खाता संख्या 93 पर स्वतः स्वीकृत नामा0 संख्या 270 दिनांक 19.12.2025 बेचान द्वारा क्रेता का नाम अरविन्द भाई पटेल आ0 अम्बालाल पटेल नाम की डबल एन्ट्री हो रही है। उक्त त्रुटी स्वतः स्वीकृत नामा0 के कारण सहवन से हुई है। जिसकी शुद्धि किया गया उचित है। प्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर ग्राम उम्मेदगंज के खाता संख्या 93 में अरविन्द भाई पटेल पुत्र अम्बालाल पटेल की डबल एन्ट्री को एक दर्ज करने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावें। उक्त निर्णय आज दिनांक ......9/1/26...... को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा गजेन्द्र सिंह उपखण्ड अधिकारी कोटा	